

Fourteenth Loksabha**Session : 7****Date : 09-03-2006****Participants : Singh Shri Ganesh**

>

Title : Need to provide assistance to the farmers who have lost their crops due to severe hailstorm and rain in Satna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने का मौका दिया। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको बुलाने पर आपके मैम्बर मेरे से नाराज हैं।

... (व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : कोई आपसे नाराज नहीं है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कृपलानी, क्या यह आपकी सीट है? आप अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान देश के कई हिस्सों में हुआ, उसे यहां उठाने की अनुमति दी। प्रकृति के बदलते तेवरों ने देश के कई हिस्सों में किसानों की पकी फसल पर फिर से तबाही मचा दी है। मध्य प्रदेश में विगत सप्ताह 17 जिलों में भीषण ओलावृष्टि हुई थी। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत 14 हजार हैक्टेयर भूमि में बोई मसूर की फसल, मौसम के बदलते तेवरों के कारण, बीमारी लगने के कारण नट हो गई जिस की सूचना मैंने सदन को दी थी लेकिन वहां आज तक केन्द्रीय अध्ययन दल नहीं पहुंचा है। 7 मार्च को परसों फिर से मध्य प्रदेश में भीषण ओलावृष्टि हुई है। उस तूफान के चलते मेरे संसदीय क्षेत्र में अकेले मैहर, अमरपाटन और रामनगर तहसील के सैकड़ों गांवों में किसानों की गेहूं, चना, सरसों, राई, अरहर तथा आम की पकी फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। मेरी मांग है कि वहां केन्द्रीय अध्ययन दल तत्काल भेजा जाए और किसानों की फसलों के नुकसान का जायजा लेकर, क्षति-पूर्ति की जाए। प्राकृतिक आपदाओं के समय फसलों को जो नुकसान होता है, उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में आरबीसी एक्ट के माध्यम से मदद करने का प्रावधान है। केन्द्रीय फसल बीमा योजना बनी जरूर है लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। बीमे की इकाई तहसील स्तर पर निर्धारित है जबकि प्रकृति का प्रकोप जरूरी नहीं है कि पूरी तहसील में आए। हो सकता है कि वह 2-4 खेतों में आए और उसके बाद और ज्यादा आगे बढ़ने का काम करे। मेरी प्रार्थना है

* Not Recorded.

कि फसल बीमा योजना का लाभ वाकई में किसानों को दिलाना है तो किसानों के खेत को इकाई माना जाए ताकि फसल बीमा योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने का काम हो सके। मेरी पुनः प्रार्थना है कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय अध्ययन दल के माध्यम से अध्ययन कराए और भीषण संकट के समय किसानों की पूरी तरह मदद करने का काम करे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, लेकिन मेरी रिकवैस्ट है कि ...(ब्य वधान)

अध्यक्ष महोदय: देश के किसानों और गरीब लोगों का मामला उठाया जा रहा है, क्या आप उसे उठाने नहीं देंगे? आप किस तरीके से हाउस चलाना चाहते हैं?